



थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा गौकशी कर रहे दो अभियुक्तगण गोवंशीय मीटअवशेष व पशु कटान के / उपकरण सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ,अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारीनजीबाबाद के , कुशल पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 06.09. को 2021 थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम ताहरपुर ईशहाक में गौकशी करते हुये 02अभियुक्त 1.आजाद पुत्र हनीफ उम्र असतुल् 0वर्ष नि 26लापुर हुसैनपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर 2.नासिर पुत्र मौसुखे 0 ग्राम फजलपुर हबीब थाना किरतपुर बिजनौर को 0निगिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु483 0सं0अ0/3 धारा 2021/5/सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । मौके से 8 इनके 03 अन्य साथी1 .शाहरूख पुत्र जाकिर 2.रिजवान पुत्र छुन्नू 3. सत्तार पुत्र बुन्दू नि गण ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर बिजनौर0भाग गयेजिनकी , गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

अभियुक्त आजाद उपरोक्त शातिर किस्म का गौकश है जिसके विरुद्ध थाना नजीबाबाद व थाना किरतपुर पर गौकशी व हत्या सहित दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैतथा पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की जा चुकी है। , अभियुक्त आजाद थाना किरतपुर का हिस्ट्रीशीटर भी है

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त आजाद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै अपने साथी 1.नासिर पुत्र मौसुखे 0 ग्राम फजलपुर 0नि हबीब थाना किरतपुर बिजनौर2 ,.शाहरूख पुत्र जाकिर3 ,.रिजवान पुत्र छुन्नू व 4.सत्तार पुत्र बुन्दू निगण ग्र0ाम हुसैनपुर थाना किरतपुर बिजनौर के साथ मिलकर आज दिनांक 06.09. को 2021ग्राम ताहरपुर ईशहाक के जंगल अशवाल के खेत में एक गौवंश का कटान कर रहे थे कि आपने पकड लिया तथा मेरे साथी1 .शाहरूख , 2.रिजवान व 3.सत्तार उपरोक्त भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आजाद पुत्र हनीफ उम्र असतुल्लापुर हुसैनपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर 0वर्ष नि 26

अपराधिक इतिहास

- 1.मु483 0सं0अ0/3 धारा 2021/5/सीएस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर 8
- 2.मु0अ0सं286 0/3 धारा 19/ थाना नजीबाबाद बिजनौर 0पशु क्रूरता अधि 11 सीएस एक्ट व 8
- 3.मु01 0सं0अ0/3 धारा 2020(1) गैंगस्टर अधि थाना नजीबाबाद बिजनौर 0
- 4.मु97 0सं0अ0/60 धारा 21(1) आबकारी अधि भादवि थाना किरतपुर बिजनौर 272 व 0
- 5.मु110 0सं0अ0/363 धारा 18/ भादवि थाना किरतपुर बिजनौर 506
- 6.मु110 0सं0अ0/3 धारा 20/5/ सीएस एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर 8
- 7.मु143 0सं0अ0/4 धारा 20/ आर्मस एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर 25
- 8.मु357 0सं0अ0/3 धारा 20(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर
- 9.मु472 0सं0अ0/4 धारा 17/ आर्मस एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर 25
- 10.मु262 0सं0अ0/302 धारा 10/ भादवि थाना किरतपुर बिजनौर 223

गिरफ्तार अभियुक्त

2.अभिग्राम फजलपुर हबीब थाना किरतपुर बिजनौर 0सुखे नि 0नासिर पुत्र मौ 0

अपराधिक इतिहास

मु483 0सं0अ0/3 धारा 2021/5/ सीएस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर 8

बरामदगी का विवरण

किलो ग्राम गौवशीय मांस व गौवंशीय खाल व काटने के उपकरण व तराजू 170आदि

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.30नि0 श्री विनोद कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 2.का सतेन्द्र कुमार शर्मा 1609 0थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 3.काअनुज कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर 281 0
- 4.काअश्वनी कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर 1475 0



थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर, चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार।

दिनांक 02/03.09.2021 की रात्रि करीब 02.30 बजे रायपुर चौराहा पर स्थित अमित कुमार पुत्र सुरेश सिंह नि0 मौ0 आनन्द निकेतन कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर की गुडलक ट्रेक्टर पार्टस की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा कुम्बल लगाकर 5500 रूपये नकद व ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक फिल्टर चोरी कर लिया गया था। अमित कुमार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 481/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र राजवीर नि0ग्रा0 जहानाबाद थाना नजीबाबाद को आज दिनांक 06.09.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा रायपुर अड्डे के पास से चोरी किये गये माल से 3300 रूपये नकद व ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक फिल्टर, एक छैनी, एक हथौडा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सं0 यूपी 20 बीएल 0838 के साथ गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

पूछताछ का विवरण — अभियुक्त सुमित कुमार उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 02/03.09.2021 की रात्रि में समय करीब 02.30 बजे मैंने अपनी मोटरसाइकिल से रायपुर अड्डा कस्बा नजीबाबाद में

गुडलक ट्रेक्टर पार्टस की दुकान से दीवार में कुम्बल काटकर दराज में रखे 5500 रुपये नकद व महिन्द्रा ट्रेक्टर का एक हाइड्रोलिक फिल्टर चोरी किया था। जिसमें से मैंने 2200 रुपये खर्च कर दिये। मैं चोरी किये गये महिन्द्रा ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक फिल्टर को बेचकर तथा शेष बचे 3300 रुपये को लेकर बाहर भागने की फिराक में था। अभियुक्त शातिर किस्म का नकबजन/चोर है जो पूर्व में भी कई चोरी की घटना कर चुका है लेकिन कभी पकडा नहीं गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सुमित कुमार पुत्र राजवीर नि० ग्राम जाहनाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण :-

1. एक अदद महिन्द्रा हाइड्रोलिक फिल्टर
2. 3300 रुपये नकद
3. एक अदद हथौडा
4. एक अदद छेनी
5. घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल CD DELUXE रंग काला रजि० नं० UP20BL0838 चैचिस नं० MBLHACO27JHM00160 ईजन नं० HA11EMJHM00242

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री धीरज सिंह थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. का० 766 अमित कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. का० 1615 आशीष त्यागी थाना नजीबाबाद बिजनौर
4. का० 299 सोनू थाना नजीबाबाद बिजनौर



थाना अफजलगढ़- आज दिनांक 06.09.2021 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बूटा सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम मीरापुर साउथ थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना किरतपुर- आज दिनांक 06.08.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम पुत्र सुबोध निवासी ग्रा0 गाजीपुर थाना किरतपुर को एक अवैध 315 बोर तमंचा तथा दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि0 शुभम उपरोक्त थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/21 धारा 323/504/506/452 आईपीसी का वांछित अभियुक्त था।



थाना कोतवाली शहर- आज दिनांक 06.08.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.मकबूल पुत्र शब्बीर निवासी सेवारामपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0सं0 610/2021 धारा 3/25 A.Act व 2. अभिषेक पुत्र राजाराम नि0 भरत विहार गली नं0 2 निवासी को0 शहर जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0सं0 0612/2021 धारा 3/25 A.Act में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक, महिला थाना व जनपदीय प्रभारी एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत **Mount Litera Zee School** में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।





मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.09.2021 को थाना धामपुर एन्टीरोमियो टीम द्वारा स्कूलों में जाकर छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.09.2021 को थाना रेहड एन्टीरोमियो टीम द्वारा प्राइमरी स्कूल ग्राम रायपुरी में जाकर छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.09.2021 को थाना हीमपुर दीपा एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दयानन्द जनता इंटर कॉलेज में जाकर छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा सभी थानों पर स्थापित महिला हैल्पडेस्क व हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत आज दिनांक 06.09.2021 को थाना नगीना देहात एन्टीरोमियो टीम द्वारा ग्राम चमरु नवादा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा सभी थानों पर स्थापित महिला हैल्पडेस्क व हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी।

